महत्वपूर्ण

संख्या-796/नौ-9-2010-69ज/2009

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,	प्रबन्ध निदेशक,	समस्त नगर आयुक्त,
स्थानीय निकाय,	उ0प्र0जल	नगर निगम,
उ0प्र0 लखनऊ।	निगम,लखनऊ।	उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊःदिनॉक 22अप्रैल2010

विषयः-निर्माण कार्यो हेतु ठेकेदारी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों को आरक्षण प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया शासन के पत्र संख्या 1500/9-9- 2009-69ज/2009 दिनॉक 27 जुलाई,2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्थानीय नागर निकायों के अर्न्तगत किये जाने वाले ऐसे कार्यो जिनकी लागत रूपये 5 लाख तक है, के सम्पादन हेतु ऑमन्त्रित की जाने वाली निविदाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक निकाय के कुल कार्यो में 21 प्रतिशत कार्य अनुसूचित जाति तथा 2 प्रतिशत कार्य अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों हेतु आरक्षित किये जाने के निर्देश जारी किये गये।

2- उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनॉक 27.7.2009 द्वारा निर्धारित की गयी धनराशि रू0 5 लाख को बढ़ाकर एतद् द्वारा रू0 25 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) निर्धारित की जाती है।

3- उक्त व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू मानी जायेगी। कृपया सभी स्तरों पर उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

GO-G

संख्या 796(1)/9-9-2010-69ज/2009,तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद/पंचायत,उ0प्र0(द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

2- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

GO-G